न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-441/2020

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) सेराज, पिता-मो0 हेफाज,
सा0-पुलहा, वार्ड नं0-10, थाना-नरपतगंज
जिला-अररिया

(2). मो0 मजरूल, पिता-मो0 युनुस,
सा0-चकरदाहा, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया

(3) मो0 ऐनुल, पिता-मो0 हनीफ,
सा0-चकला, पो0-पजर कट्टा, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया
(हीरो होन्डा मोटर साईकिल पैशन प्रो0 पंजीयन संख्या-BR39H4176
चेसीस सं0-MBLHA10EWBGG13254,
ईजन सं0-HA10EDBGG35266 के मालिक) ....विपक्षीगण

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
01.04.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-674/हि0शा0,दिनांक-12.03.2020) के आलोक में नरपतगंज थाना कांड संख्या-85/2016, दिनांक-09.04.2016, धारा-272/273 भा0द0वि0 एवं 47 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम, 2016 में जब्त हीरो होन्डा मोटर साईकिल पैशन प्रो0 पंजीयन संख्या-BR39H4176, चेसीस सं0-MBLHA10E WBGG13254, ईजन सं0-HA10EDBGG35266 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षियों को कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। सूचना प्राप्ति के बावजूद विपक्षीगण अनुपस्थित रहे। विपक्षी वाहन मालिक को हर्जाना मो0 50 रू0 अधिरोपित करते हुए अंतिम मौका भी दिया जा चुका है। बावजूद विपक्षीगण की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं है। स्पष्ट है कि विपक्षीगण को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। (2) विपक्षियों की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-674/हि0शा0, दिनांक-12.03.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि पुलिस अवर निरीक्षक, नरपतगंज थाना सशस्त्र बल के साथ संध्या गश्ती में थाना से प्रस्थान किया। समय 18.30 बजे वे चकरदाहा पहुँचा। उन्हें सूचना मिली कि चकरदाहा रेलवे लाईन के तरफ कजरा धार में कुछ लोग अवैध रूप से शराब का निर्माण करते है तथा मोटर साईकिल के डिक्की में कुछ बोतल रखकर बिक्री करते हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वे चकरदाहा रेलवे लाईन के तरफ बल के साथ प्रस्थान किये। पुलिस जीप से चकरदाहा रेलवे लाईन के पास 19.00 बजे पहुँचे तो देखा कि एक मोटर साईकिल पर दो व्यक्ति (विपक्षी सं0-01 एवं 02) कजरा धार के तरफ से आ रहा है। पुलिस जीप को देखकर वह मोटर साईकिल को रोककर भागने का प्रयास किया, जिन्हें अपने बल के सहयोग से घेर कर पकड़ा गया। दो स्वतंत्र गवाहों-1. हफीज, पिता-स्व0 अब्दुल अजीज, सा0-चकरदाहा, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया एवं 2. मो0 मजरूल, पिता-मो0 युनुस, सा0-चकरदाहा, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया के समक्ष तलाशी के कम में हीरो होण्डा पैशन प्रो0 मोटर साईकिल के डिक्की से एक प्लास्टिक के बोतल में करीब एक लीटर देशी शराब बरामद हुआ। बरामद शराब एवं हीरो होण्डा मोटर साईकिल पैशन प्रो0 पंजीयन संख्या-BR39H-4176 को विधिवत् जब्ती सूची तैयार कर जब्त किया गया एवं विपक्षियों के विरूद्ध	

अधिहरण वाद संख्या-441/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)

01.04.2021

नरपतगंज थाना कांड संख्या-85/2016, दिनांक-09.04.2016, धारा-272/273 भा0द0वि0 एवं 47 बिहार मद्यनिषेध और संशोधन अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया। विपक्षी द्वारा जब्त मोटर साईकिल का उपयोग अवैध शराब को ढ़ोने में किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय।

(4) विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-674/हि0शा0, दिनांक-12.03.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि नरपतगंज थाना कांड संख्या-85/2016, दिनांक-09.04.2016, धारा-272/273 भा0द0वि0 एवं धारा-47 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम, 2016 में बरामद शराब एवं मोटर साईकिल को पुलिस अवर निरीक्षक, नरपतगंज थाना द्वारा विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल का उपयोग देशी शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में किया गया है। जब्त मोटर साईकिल का कोई दावेदार नहीं है। जब्त मोटर साईकिल को विमुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। नरपतगंज थाना कांड संख्या-85/16, दिनांक-09.04.2016, धारा-272/273 भा0द0वि0 एवं 47 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम, 2016 में **जब्त हीरो होन्डा मोटर साईकिल पैशन प्रो0 पंजीयन संख्या-BR39H4176, चेसीस सं0- MBLHA10E WBGG13254, ईजन सं0-HA10EDBGG35266 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate) किया जाता है।** अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 1030/विधि, अररिया, दिनांक 8-4-2021

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

न्यायालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अररिया (बिहार)

समाहर्त्ता, अररिया